न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

उनवान

सरकार जरिये तहसीलदार करौली तहसील करौली जिला करौली — प्रार्थी

बनाम

1. फूलवती पत्नि पप्पू
2. गणेश,
3. शिवा — पुत्र पप्पू,
4. सावित्री,
5. सीमा — पुत्रियां पप्पू

जाति जाटव निवासी जाटव बस्ती, मांची,

6. तमनबाई पत्नि अमरसिंह,
7. राजो पत्नि भगवानसिंह,
8. केशपति पत्नि राजू

पुत्रियां पप्पू, निवासी लालाराम का पुरा, झारेडा रोड, तहसील टोड़ाभीम,

9. किशोरी,
10. हरि,
11. गोपाल,
12. अर्जुन,
13. सरूपा

पुत्र घमण्डी, जाति जाटव निवासी जाटव बस्ती मांची,

14. मीरा पुत्री घमण्डी जाति जाटव निवासी मेनकाल वाले डांडे, तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर (छीपपुरा (पूर्व राजस्व ग्राम मांची)वाले)

— अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अंतर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक–14.01.2020

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि भूमिधारी तहसीलदार करौली ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र रेफरेन्स प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि आराजी खसरा नंबर 1173/2, 1174 रकबा क्रमशः 0–12, 0–09 बीघा ग्राम दीपपुरा (पूर्व राजस्व ग्राम मांची) तहसील करौली का प्रार्थी लैण्ड होल्डर है। यह कि आराजी खसरा नंबर 1173/2, 1174 रकबा क्रमशः 0–12, 0–09 बीघा ग्राम मांची सम्वत् 2015 एवं इसके पश्चात् गै.मु. नदी दर्ज रिकॉर्ड था परन्तु नामांतरकरण संख्या 147 किस्म बारानी–2 द्वारा श्री घमण्डी पुत्र विशन्या जाति जाटव निवासी दीपपुरा (पूर्व राजस्व ग्राम मांची) के नाम जरिये नियमन दर्ज कर दिया गया। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2075 तक में उपरोक्त भूमि श्री घमण्डी पुत्र विशन्या जाति जाटव निवासी दीपपुरा (पूर्व राजस्व ग्राम मांची) के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार से यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.08.1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि में दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किए जाने के निर्देश हैं। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आराजी खसरा नंबर 1173/2, 1174 रकबा क्रमशः 0–12, 0–09 बीघा बाके ग्राम दीपपुरा (पूर्व राजस्व ग्राम मांची) को वापस राजकीय भूमि गै.मु. नदी दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

उक्त प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी, जमाबन्दी सम्वत् 2015, 2073–76 नामांतरकरण संख्या 147, 29 की प्रमाणित प्रति संलग्न की है।

तहसीलदार करौली के उक्त प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण की गई।

वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 11 ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि रेफरेंस प्रार्थी निराधार है। प्रार्थी द्वारा रेफरेंस के साथ सन् 1947 यानि सम्वत् 2003 का कोई राजस्व रिकॉर्ड खसरा नं. 1173/2, 1174 ग्राम मांची का प्रस्तुत नही किया गया है। यह सबूत प्रार्थी तहसीलदार करौली रेफरेंस पेश फर्दा पर है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में भूमि के सन् 1947 यानि सम्वत् 2003 के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड नदी, नाले, तालाब, रास्ते जो दर्ज थे उन्हें यथावत रखे जाने का निर्णय रिट के तहत पारित किया गया है और उस रिट याचिका के सम्वत् 2003 यानि सन् 1947 का राजस्व रिकॉर्ड रिटकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया था इस प्रकार बिना राजस्व रिकॉर्ड सम्वत् 2003 यानि सन् 1947 के यह रेफरेंस चलने योग्य नहीं है और इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। खसरा नं. 1173/2, 1174 की किस्म कोई नदी गै. मु. नहीं है मौके पर भी कोई नदी नहीं है ना ही नदी होने के निशानात् है। मात्र सम्वत् 2015 सैटिलमेंट में पेपर एंट्री है जो विधि विक्रय है। सैटिलमेंट विभाग व सैटिलमेंटकर्मियों की भूमि की किस्म या भूमि के खातेदार कृषक के नाम को परिवर्तित करने बदलने का अधिकार बिना सक्षम न्यायालय के आदेश/निर्णय के बदलने का विधिक अधिकार नहीं है। भूमि सन् 1947 में नदी हो यह तथ्य प्रार्थी तहसीलदार करौली द्वारा उक्त प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों से साबित नहीं है। रेफरेंस 40 वर्ष बाद असाधारण देरी से प्रस्तुत किया गया है। इतनी लंबी अवधि के बाद प्रस्तुत रेफरेंस के जरिये अप्रार्थीयान खातेदारी को बदलना हटाया जाना न्यायोचित नहीं है और सबूत भार अप्रार्थीयान पर डाला जाना न्यायोचित नहीं है। रेफरेंस प्रार्थी देरी से प्रस्तुत किया गया है जो म्याद बाहर है और खारिज किया जाने योग्य है। अप्रार्थीयान द्वारा भूमि को लाखो रूपये की लागत लगाकर काबिल काश्त व उपजाऊ बनाया है और डोल मेड तैयार की है और काफी लगान राजस्व विभाग को अदा किया है। उक्त राशि को बिना अदा किये रेफरेंस चलने योग्य नहीं है एवं प्रार्थी ने अप्रार्थीयान को भूमि में खातेदारी अधिकार कृषि भूमि मानते हुये किये गये है इसलिये प्रार्थी अपने उक्त वचन से आबद्ध है। प्रार्थना पत्र रेफरेंस हरसूरत खारिज किया जाने योग्य है। अप्रार्थीयान कृषक है और कृषि आय से अपने परिवार का पालन करते है यदि भूमि राजकीय दर्ज की जाती है तो अप्रार्थीयान के परिवार के भूखे मरने की नौवत है जिसकी सुरक्षा प्रार्थी या राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाना न्यायोचित है। अंत में प्रार्थना पत्र रेफरेंस खारिज किया जाने का निवेदन किया है।

वकील अप्रार्थी संख्या 9 व 12 ने अप्रार्थी सं. 1 व 11 की ओर से प्रस्तुत जवाब को ही अप्रार्थी सं. 9 व 12 की तरफ से भी माने जाने का निवेदन किया।

अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 8, 10, 13 व 14 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये और ना ही कोई जवाब पेश किया। अतः अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 8, 10, 13 व 14 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करते हुए मनन किया। जमाबन्दी संवत् 2015 के अनुसार सिवायचक बिला लगानी आराजी खसरा नंबर 1173/2, 1174 रकबा क्रमशः 0–12, 0–09 बीघा गै.मु. नदी दर्ज रिकॉर्ड है। नकल नामांतकरण संख्या 147 के अनुसार आराजी खसरा नंबर 1173/2, 1174 रकबा क्रमशः 0–12, 0–09 किस्म बारानी–3 श्री घमण्डी पुत्र विशन्या जाति जाटव निवासी दीपपुरा (पूर्व राजस्व ग्राम मांची) के नाम नियमन होकर खातेदारी में दर्ज रिकार्ड हो गयी है जो वर्तमान जमाबंदी संवत 2073–2076 के खाता संख्या 52 में भी श्री घमण्डी पुत्र विशन्या जाति जाटव निवासी दीपपुरा (पूर्व राजस्व ग्राम मांची) के नाम खातेदारी के रूप में दर्ज रिकार्ड है। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.08.2004 के विस्तृत निर्णय

में उल्लेखित किया है कि All the lands shown as drainage channels like nalla, rivers, tributaries etc. as on 15-08-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-08-1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be amended accordingly. माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा जनहित याचिका में पारित निर्णय से हम सहमत है।

अतः भूमिधारी तहसीलदार करौली का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 L.R. Act 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम दीपपुरा (पूर्व राजस्व ग्राम मांची) की आराजी खसरा नंबर 1173 / 2, 1174 रकबा क्रमशः 0—12, 0—09 बीघा को वापस राजकीय भूमि गै.मु. नदी दर्ज करने की अनुशंषा की जाती है जिसकी स्वीकृति देने हेतु मूल पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 14.01.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2020.02.14 13:23:47 IST
Reason: SelfAttested
Location: